कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी

पत्रांक :- ——/मान्यता/ 20 /99–2000 दिनांक :- 5-9-200

प्रबन्धक,

ग्रामांचल पब्लिक स्कूल
हैदरगढ़, बाराबंकी।

विषय :- प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी एवं उप बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर मान्यता समिति द्वारा शासनादेश संख्या 1873/15–6–98– 18 ए (7)/89 दिनांक 10 सितम्बर 1998 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके विद्यालय को जुलाई 2000 से अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है। इस निमित्त प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु पाँच वर्ष में स्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थाई मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

यह भी अवगत कराना है कि प्राथमिक विद्यालय की मान्यता सम्बन्धी (स्थाई/अस्थाई) पूर्ववर्ती शासनादेशों में मान्यता हेतु निर्धारित सभी शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

उक्त के अतिरिक्त यह भी कहना है कि कक्षा 5 के छात्रों की परीक्षा विभागीय निर्देशानुसार संचालित कराई जाये, तथा विभागीय आदेशों तथा नियमो का पालन किया जाये। अन्यथा विभागीय आदेशों की अवहेलना होने पर प्रदत्त मान्यता बिना किसी सूचना के समाप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बाराबंकी

पृ0 सं0/ मान्यता / /99–2000 दिनांक:- उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बाराबंकी।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
4. नगर शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।

GRAMYANCHAL PUBLIC SCHOOL HAIDERGARH-BARABANKI PRINCIPAL

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी

पत्रांक / /मान्यता पू०मा०/2005–06/दिनांक 23/2/06

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 646/15–8–97–18एस(7)189 दिनांक 13.8.1997 में दिये गये प्रविधानों के अन्तर्गत एवं मण्डलीय मान्यता समिति के निर्णय/अनुमोदनोपरान्त पत्र निगमर्ण तिथि से "ग्रामयांचल पब्लिक स्कूल हैदरगढ़ ..." बाराबंकी अशासकीय पूर्व माध्यमिक (जूनियर हाईस्कूल स्तर की) कक्षा–06 से 8 तक की अस्थायी मान्यता (व श्रेणी) निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

विद्यालय में कुल तीन कक्षाएं ही मान्य होगी अतिरिक्त उपवर्गो को संचालित करने हेतु नियमानुसार अनुमति विभाग से प्राप्त करनी होगी विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कुल पांच प्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त शिक्षक/शिक्षिका जिनमें एक विज्ञान एवं एक भाषा, एक लिपिक, एवं एक अनुचर वर्तमान मानक के अनुसार मान्य होगें।

विभागीय आदेशो/निर्देशो की अवहेलना करने पर एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापस लेने/समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगें। इस हेतु किसी प्रकार की नोटिस अथवा पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रतिबन्ध–

1. विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा (प्राइमरी) स्तर की ~~कदापि न संचालित की जाए~~ नहीं किसी प्रकार की अवैधानिक कक्षाए ही संचालित की जाए।
2. विद्यालय में केवल प्रशिक्षित एवं निर्धारित योग्यता, अर्हता रखने वाले अनुमोदित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय वही मान्य होगे।
3. विद्यालय में विभाग द्वारा मान्य पाठयक्रम ही पढ़ाया जाय।
4. विद्यालय में विभागीय नियमो/आदेशो/निर्देशों एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों बेसिक शिक्षा संहिता आदि में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
5. विद्यालय में कार्यरत कर्मियों/शिक्षकों को वही वेतनमान, डी०ए०, एच०आर०ए० दिया जाय जो परिषदीय अध्यापकों को दिया जा रहा है। तथा वतेनादि का नियमित रूप में भुगतान बैंक द्वारा कर्मियों के बैंक खाते के माध्यम से किया जाय उल्लंघन की दशा में तुरन्त मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
6. ~~विद्यालय में विज्ञान अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति यदि नहीं की गयी है तो तुरन्त नियुक्त हेतु विधिक~~ कार्यवाही करते हुए नियुक्त कर अवगत करायें।
7. क्रीडा क्षेत्र एवं प्रागंण को चारो ओर से समतल कराये तथा चारो ओर वृक्षारोपण करावे।
8. विद्यालय के छात्रों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाय समस्त शुल्को का बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलकर पास बुक तथा पंजिका सदैव विद्यालय में सुरक्षित रखी जाय जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी देखा जा

GRAMYANCHAL PUBLIC SCHOOL HAIDERGARH-BARABANKI PRINCIPAL